न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जिला–जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी श्री हवाई सिंह यादव, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 2020 / 00050 (17 / 2020)

– प्रार्थीगण :–	बनाम	– अप्रार्थीगण :–
1 किशनाराम पुत्र पुनाराम		1 चोथाराम पुत्र आईदानराम
2 हेमाराम पुत्र पुनाराम		2. नेनाराम पुत्र आईदानराम
3 पांचाराम पुत्र पुनाराम		3. भीरमराम पुत्र बालूराम
4. सुरजाराम पुत्र सगराम		4. रामदीन पुत्र चोथाराम
5. निम्बाराम पुत्र सगराम		5. स्वरूपराम पुत्र चोथाराम
6. लादुराम पुत्र सगराम		जातियान जाट निवासी उस्तरां तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर
7. सेठाराम पुत्र सगराम		6 तहसीलदार भोपालगढ़
जातियान जाट निवासी उस्तरा तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर		

राजस्व प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :-

1 श्री रामप्रकाश चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2 श्री श्यामलाल चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

–: निर्णय :– **दिनांक–** 28/1/22

प्रार्थीगण वकील की तरफ से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट के तहत पेश किया तथा अपनी ओर से निवेदन किया कि राजस्व ग्राम उस्तरा मे प्रार्थीगण के बंट व हिस्से की भूमि खेत खसरा न. 756 कुल रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय आयी हुई है, उक्त भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि है. वर्तमान मे प्रार्थीगण के सहखातेदारी के रूप मे आई हुई है. उक्त भूमि को आगे वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया गया है। प्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि खसरा न. 756 के पड़ौस दक्षिण पूर्व मे अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 की सहखातेदारी की भूमि खसरा न. 755 आयी हुई है। प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि खसरा नं. 756 मे पुश्तैनी पक्की पत्थरों की गडाल बनी हुई थी, तथा अन्य पक्का निर्माण के लिये 10–15 ट्रोली पत्थरों के खण्डे वगैरा सामान डाला हुआ था, अप्रार्थीगण बदमाश प्रवृति के लोग होने के कारण इनकी नियत प्रार्थीगण के प्रति हमेशा बुरी व प्रार्थीगण की भूमि को हड़पने, अतिक्रमण करने की रही, वर्ष 2019 के जून के अंतिम मे अप्रार्थीगण पांचो प्रार्थीगण के पास आये और प्रार्थीगण को कहा कि हम अप्रार्थीगण हमारे खातेदारी भूमि खसरा न. 755 मे [illegible] बनाना चाहते है इसलिए आपके खण्डो व गडाल के पास मे कुछ पक्की सामग्री डा[illegible] क्योंकि हमारे खेत मे नीवे वगैरा खुदवायेंगे तो पहले डाली हुई सामग्री [illegible] मे यदि सामग्री लायेंगे तो बारिश का मौसम आ रहा है. सामग्री [illegible] के पडौसी होने के नाते इंसानियत एवं वफादारी के कारण [illegible] अप्रार्थीगण [illegible] हमेशा खोटी थी, और अप्रार्थीगण ने षडयंत्र रचकर प्रार्थीगण के सम्पूर्ण परिवार वाले जब माह जुलाई मे अपने रिश्तेदारों

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 12:23:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

के शादी विवाह में गये हुए थे, पीछे अप्रार्थीगण द्वारा जेसीबी लगाकर प्रार्थीगण के गडोल के पास प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं. 756 में नींवे खुदाकर 08–10 कारीगर लगाकर दो दिन में पक्का निर्माण कर लिया व प्रार्थीगण के खेत के चारों तरफ बनी दीवार को तोड़ दिया। उपरोक्त विधि विरूद्ध अप्रार्थीगण के कृत्य की जानकारी हुई तो प्रार्थीगण द्वारा ग्राम के मुख्यान्– मांगीलाल सारण, दानाराम सारण (पूर्व सरपंच), हरीराम सारण, गजेन्द्र मेघवाल निवासी उस्तरां व पांचाराम गोदारा, खेताराम गोदारा निवासी मिण्डोली वालों को लाकर अप्रार्थीगण से समझाईश की लेकिन अप्रार्थीगण की शुरू से ही नियत खोटी थी तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के खेत खसरा नं. 756 के 02 बीघा भूमि पर किये गये कच्चे पक्के निर्माण को हटाने को टालमटोल करते रहे तब प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 16.09.2019 को पुलिस थाना भोपालगढ़ में फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाया, तथा अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार के यहां पेमाईश का प्रार्थनापत्र पेश कर दिनाक 27.11.2019 को राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित कराकर पेमाईश कराने पर पेमाईश रिपोर्ट में करीब 02 बीघा भूमि पर अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 का कच्चा–पक्का अतिक्रमण किया हुआ पाया गया। हाल ही दिनांक 26.01.2020 को गणतंत्र दिवस के दिन ग्राम में स्पष्ट खुले शब्दों में अप्रार्थीगण द्वारा कहा गया कि अतिक्रमण नहीं हटायेंगे जो करना है करो और कानूनी कार्यवाही कर लो। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के रेकर्डेड सहखातेदार है, तमाम राजस्व रेकर्ड प्रार्थीगण के पक्ष का है। अप्रार्थीगण ने विधि विरूद्ध तरीके से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण की हैसियत से कच्चा–पक्का निर्माण किया है एवं भूमि की उपयोगिता को नष्ट किया है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में मजबत बनता है। किन्हीं कारणवश प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार नहीं किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः स्थगन प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि मूल वाद के निर्णय के दौरान प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि राजस्व ग्राम उस्तरां में आयी खसरा नं. 756 में कच्चा–पक्का निर्माण कार्य नहीं करे तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की उपजाऊता को नष्ट नहीं करे, साथ मे प्रार्थीगण का यह भी निवेदन है कि माननीय न्यायालय के आदेश के बाद भी अप्रार्थीगण विधि विरूद्ध हथकण्डे अपनाकर न्यायालय आदेश की अवहेलना करते है तो उक्त वादग्रस्त भूमि पर थानाधिकारी भोपालगढ को रिसिवर मुकर्रर कर अप्रार्थीगण से कब्जा प्राप्त किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 05 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 01 से 05 की ओर से श्री श्यामलाल चौधरी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी पेश किया गया जो स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश दिनांक 05.02.2021 को अपास्त किया जाकर अप्रार्थीगण का जवाब प्रार्थनापत्र को रेकर्ड पर लिये जाने का आदेश दिया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 05 की ओर से पेश जवाब प्रार्थनापत्र में बताया गया कि सेटलमेंट से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वज पूनीया पुत्र रामचन्द्र व आईदान पुत्र रावतराम गांव कुम्भारा से गांव उस्तरां में आये तथा गांव उस्तरां में ही खेती करते तथा बस गये तथा पूनीया पुत्र रामचन्द्र व आईदान पुत्र रावतराम [illegible] मकान ग्राम उस्तरां के खसरा नं. 756 में ही बनवाया गया तथा वहां [illegible] सेटलमेंट से [illegible] आ रहे है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की अन्य खातेदारी भूमि खसरा नं. 756 के आस पास [illegible] हुई है तथा खसरा नं. 756 में रहवासीये मकान व ढाणियां प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सेटलमेंट [illegible] बनी हुई है तथा समय समय पर कुछ मकानों का अलट्रेशन किया गया। प्रार्थीगण ने राजनैतिक पार्टीबाजी व लोगों के

Signature Not Verified
Digitally signed by Havai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 12:23:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

बहकावा में आकर अप्रार्थीगण को विवादित भूमि से हटने को दिनांक 16.09.2019 को कहा तब अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण से हटने का कारण पूछा तब प्रार्थीगण ने कहा कि विवादित भूमि प्रार्थीगण के नाम की है तथा अप्रार्थीगण के रहवासीय मकान ढहवाया जावेगा तथा अप्रार्थीगण को विवादित भूमि से बेदखल किया जावेगा। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वज पूनीया पुत्र रामचन्द्र व आईदान पुत्र रावतराम एक ही वंशज के थे तथा पूनीया ने उक्त विवादित भूमि सेटलमेन्ट कर्मचारियों से मिल कर अपना नाम दर्ज करवा लिया गया जबकि उक्त विवादित भूमि पर आईदानराम व पूनीया दोनों का कब्जा व रहवासीये मकान ढाणियां व बाड़ा बना हुवा था। अप्रार्थीगण सादा स्वभाव का व्यक्ति है तथा प्रार्थीगण बदमाश प्रवृति का व्यक्ति है जो अप्रार्थीगण के रहवासीय पुराने मकानों को गिरा कर बेदखल करना चाहता है जबकि उसको ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। विवादित भूमि पर प्रार्थीगण स्वयं अपना कब्जा नही मान रहा है तथा अप्रार्थीगण व उसके पूर्वज का कब्जा वक्त सेटलमेन्ट से चला आ रहा है तथा रहवासीय मकान व ढाणियां बनी हुई है तथा बिना कब्जा प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीगण के हक में नही बनता है तथा यदि प्रार्थीगण का कब्जा काश्त भी विवादित भूमि पर नही मानने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के हक में नही बनता है तथा यदि कब्जा विवादित भूमि पर नही होने से अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण के हक में नही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे तथा राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाया रखा जाने का आदेश प्रदान करावे।

वकुलाय उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण वकील ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के खेत खसरा नं. 756 के 02 बीघा भूमि पर किये गये कच्चे पक्के निर्माण को हटाने को टालमटोल करते रहे तब प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 16.09.2019 को पुलिस थाना भोपालगढ़ में फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाया, तथा अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार के यहां पेमाईश का प्रार्थनापत्र पेश कर दिनांक 27.11.2019 को राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित कराकर पेमाईश कराने पर पेमाईश रिपोर्ट में करीब 02 बीघा भूमि पर अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 का कच्चा–पक्का अतिक्रमण किया हुआ पाया गया। अप्रार्थीगण ने विधि विरूद्ध तरीके से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण की हैसियत से कच्चा–पक्का निर्माण किया है एवं भूमि की उपयोगिता को नष्ट किया है। प्रार्थीगण की सात पीढी भी अप्रार्थीगण के नजदीक नही है। दस्तावेजी साक्ष्य प्रार्थीगण के खिलाफ एक भी नही है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि मूल वाद के निर्णय के दौरान प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि राजस्व ग्राम उस्तरां में आयी खसरा नं. 756 में कच्चा–पक्का निर्माण कार्य नहीं करे तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की उपजाऊता को नष्ट नहीं करे, साथ मे प्रार्थीगण का यह भी निवेदन है कि माननीय न्यायालय के आदेश के बाद भी अप्रार्थीगण विधि विरूद्ध हथकण्डे अपनाकर न्यायालय आदेश की अवहेलना करते है तो उक्त वादग्रस्त भूमि पर थानाधिकारी भोपालगढ़ को रिसिवर मुकर्रर कर अप्रार्थीगण से कब्जा प्राप्त किया जावे। अप्रार्थीगण वकील ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वज पूनीया पुत्र रामचन्द्र व आईदान पुत्र रावतराम एक ही वंशज के थे तथा पूनीया ने उक्त विवादित भूमि सेटलमेन्ट कर्मचारियों से मिल कर अपना नाम दर्ज करवा लिया गया जबकि उक्त विवादित भूमि पर आईदानराम व पूनीया दोनों का कब्जा व रहवासीये मकान ढाणियां व बाड़ा बना हुवा था। अप्रार्थीगण ने विवादित भूमि के संबंध में खातेदारी घोषणा का काउंटर क्लेम पेश किया है। सेटलमेन्ट के समय से ही पूर्वजों के मकान बने हुए है। हमने फोटोग्राफ पेश किये है, पुराने मकान, बाड़ा व पेड़ है। विवादित भूमि पर प्रार्थीगण स्वयं अपना कब्जा नही मान रहा है तथा अप्रार्थीगण व उसके पूर्वज का कब्जा वक्त सेटलमेन्ट से चला आ रहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 12:23:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

है तथा रहवासीय मकान व ढाणियां बनी हुई है तथा बिना कब्जा प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीगण के हक में नही बनता है तथा यदि प्रार्थीगण का कब्जा काश्त भी विवादित भूमि पर नही मानने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के हक में नही बनता है तथा यदि कब्जा विवादित भूमि पर नही होने से अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण के हक में नही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे तथा राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाया रखा जाने का आदेश प्रदान करावे।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभयपक्ष की बहस पर मनन उपरान्त प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम उस्तरां तहसील भोपालगढ़ में आयी भूमि खसरा नं. 756 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा में राजस्व मूल वाद के विचारण दौरान एवं निर्णय तक उभय पक्षकारान द्वारा वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)
जिला–जोधपुर (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 28.01.22 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 12:23:18 IST
Reason: SelfAttested